फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम नावां (डीडवाना–कुचामन)

प्रार्थी / वादी
तोफाबाई

बनाम

अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण
अदु कुमावत वगैरह

किस्म प्रकरण : प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 आरटीएक्ट

मुकदमा नं. 66 / 2026

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
28.01.2026	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। प्रकरण में प्रार्थी की ओर से उपस्थित प्रतिनिधी एवं अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा दी गई दलीलों पर मनन किया गया। प्रार्थी प्रतिनिधी ने बहस के दौराने अभिकथन किया कि प्रार्थी प्रकरण हाजा में सहखातेदार के रूप में दर्ज है तथा प्रार्थी के हक हिस्से की भूमि पर अप्रार्थीगण नाजायज रूप से अतिक्रमण कर रहे है तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि का बैचान अजनबी क्रेता को किया जाकर प्रार्थी को उसके हक हिस्से की भूमि से महरूम रखना चाहते है, अप्रार्थीगण द्वारा पहले ही प्रार्थी के हक हिस्से की भूमि को राजस्व कर्मियों से मिलीभगत करके राजस्व रिकॉर्ड में कम कर दी है। अब ओर प्रार्थी की भूमि का रकबा कम करते हुये प्रार्थी को उसके हक हिस्से की भूमि से बेदखल करने पर आमादा है। अतः जब तक मूल वाद का अन्तिम तौर पर निस्तारण न हो तब तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस अभिकथन किया गया था कि हस्तगत प्रकरण के संबंध में प्रस्तुत मूल वाद में प्रार्थी द्वारा धारा 188 के तहत किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहा गया है। प्रार्थी का अभिकथन है कि प्रार्थी ने उक्त भूमि जरिये रजिस्ट्रर्ड बैचाननामें के क्रय की है, परन्तु कितनी भूमि प्रार्थी ने क्रय की है, इस संबंध में किसी प्रकार का उल्लेख नहीं किया है तथा ना ही वर्तमान में उक्त विवादित खसरान की भूमि में इनका कब्जा काश्त नहीं है, उक्त विवादित भूमि में प्रार्थी का केवल सहखातेदारी के रूप में नाम दर्ज है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की मंशानुसार एक सहखातेदार दूसरे सहखातेदारान के विरूद्ध किसी भी प्रकार निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट खारिज योग्य होने से खारिज किया जावे। उक्त प्रकरण में उभय पक्षकारान द्वारा दी गई दलीलों पर विवेचन प्रकरण हाजा में वर्णित राजस्व ग्राम चौसला पटवार हल्का चौसला तहसील नावां के खसरान नं. 106 कुल रकबा 6.17 हैक्टेयर में प्रार्थी का हक हिस्सा निहित है तथा उक्त खसरान की भूमि में प्रार्थी सहखातेदार के रूप में दर्ज है। उक्त भूमि में प्रार्थी द्वारा अपने हक हिस्से की भूमि के संबंध में वादपत्र प्रस्तुत कर बंटवारा, तथा सेपरेट हॉल्डिग कायम करवाना चाह रहा है। चूंकि प्रार्थी विवादित खसरान की भूमि में सहखातेदार दर्ज है जिसका विधिवत भू–विभाजन हेतु न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी का उक्त विवादित भूमि में कब्जा काश्त रहा है अथवा नहीं ? एवं प्रार्थी ने कितनी भूमि क्रय की है ? इसका निस्तारण मूल वाद प्रकरण में साक्ष्य गवाह के आधार पर तय किया जाना है। अतः हस्तगत प्रकरण में विवादित खसरान की भूमि में प्रार्थी सहखातेदार दर्ज तथा अपने हक अधिकार की भूमि की सुरक्षार्थ प्रार्थना पत्र 212 प्रस्तुत किया गया जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। इसी प्रकार प्रार्थी के हक हिस्से की भूमि में यदि भूमि के विधिवत् भू–विभाजन से पूर्व बैचान, हस्तान्तरण के कारण होता है तो असुविधा भी प्रार्थी पक्ष को होना प्रार्थी पक्ष द्वारा दी गई दलीलों से होना प्रतीत होता है। इसी प्रकार हस्तगत प्रकरण में वर्णित खसरान की भूमि का भू–विभाजन कराये बैचान, हस्तान्तरण, प्रार्थी की भूमि में किसी प्रकार दखलन्दाजी यदि अप्रार्थीगण द्वारा किया जाता है तो अपूरणीय क्षति भी प्रार्थी पक्ष को होना प्रतीत होता है। उपखण्ड अधिकारी नावां	

Scanned with OKEN Scanner